अध्याय - IV

लेखा की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिर्पोटिंग कार्यप्रणाली

अध्याय-IV

लेखा की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में हैं, सरकार को रणनीतिक योजना एवं निर्णय लेने के साथ-साथ अपने बुनियादी उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करते हैं। इस अध्याय में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के साथ रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुपालन पर चर्चा की गई है।

लेखा की पूर्णता से संबंधित मामले

4.1 निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित

केंद्र सरकार विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बड़ी राशि सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है।

चूँकि ये निधियां रा.रा.क्षे. दिल्ली के बजट के माध्यम से नहीं दी जाती हैं, इसलिए ये रा.रा.क्षे.दि.स. के खातों में परिलक्षित नहीं होती हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा ₹ 284.91 करोड़ की धनराशि रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत् राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई थी, जैसाकि वर्ष 2021-22 के दौरान पीएफएमएस पोर्टल पर दर्शाया गया है।

पारदर्शिता से संबंधित मामले

4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

सा.वि.नि., 2017 का नियम 238 अनुबंध करता है कि विशेष उद्देश्यों हेतु वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों तक की अवधि में विभागीय अधिकारी द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुदानग्राहियों द्वारा 31 मार्च 2021 तक जारी किए गए ₹ 7,730.31 करोड़ के अनुदानों के संबंध में 1,428 उ.प्र., 31 मार्च 2022 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण की कमी का अर्थ है कि यद्यपि व्यय किया गया है परंतु अनुदानग्राहियों द्वारा यह नहीं बताया गया कि निधियां कैसे खर्च की गई थीं। इसका कोई आश्वासन भी नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यह अधिक महत्व रखता है यदि पूँजी गत व्यय के लिए बने सहायता अनुदान (स.अ.) के प्रति ऐसे उ.प्र. लंबित हैं। चूँकि उ.प्र. की प्रस्तुतीकरण की कमी दुर्विनियोग के जोखिम से भरा है**,** इसलिए यह आवश्यक है कि रा.रा.क्षे.दि.स. को इस पहलू की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए एवं संबंधित विभागों को समय पर उचित प्रकार से उ.प्र. की प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। बकाया उ.प्र. का वर्ष-वार विवरण विस्तृत रूप से नीचे **तालिका 4.1** में है।

तालिका 4.1: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया उ.प्र. की संख्या	राशि
1993-94 to 2011-12	1049	221.02
2012-13	105	189.02
2013-14	31	0.86
2014-15	48	0.73
2015-16	28	178.44
2016-17	27	685.61
2017-18	36	161.60
2018-19	61	940.33
2019-20	08	336.95
2020-21	35	5015.75
कुल	**1,428**	**7,730.31**

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 से पूर्व ₹ 221.02 करोड़ की राशि के 1,049 उ.प्र. (73.46 *प्रतिशत*) बकाया थे, जबकि ₹ 7,509.29 करोड़ की राशि के 379 उ.प्र. (26.54 *प्रतिशत*) 2012-13 से 2020-21 तक बकाया थे।

वर्ष 2021-22 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उ.प्र. के विवरण **चार्ट 4.1** में दिये गये हैं।

चार्ट 4.1: 2020-21 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के बकाया उ.प्र. का विवरण

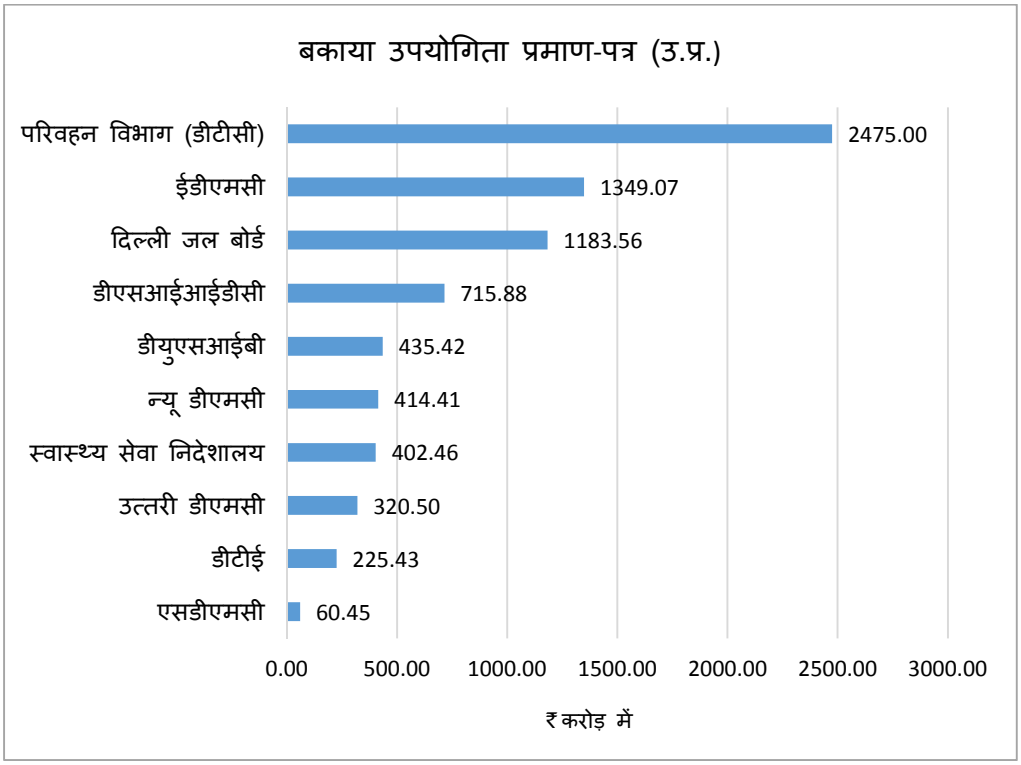

स्रोतः प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिवहन विभाग (डीटीसी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) तथा दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने बकायों के क्रमशः ₹ 2,475.00 करोड़ (32.02 *प्रतिशत*), ₹ 1,349.07 करोड़ (17.45 *प्रतिशत*) तथा ₹ 1,183.56 करोड़ (15.31 *प्रतिशत*) का योगदान दिया।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2022) कि उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब को इस अनुरोध के साथ संबंधित विभागों को भेजा गया है कि कारणों/टिप्पणियों को सीधे लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाया जाए। यह भी कहा कि इसने अनुदान जारी करने वाले विभागों से संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए बार-बार अनुरोध किया था तथा विलंब के लिए प्रशासनिक प्राधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया। संबंधित विभागों के जवाब प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2022)। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त विभाग के साथ मिलकर लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए बकाया उ.प्र. के कारणों की जाँच करें।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के वर्ष-वार संक्षिप्त विवरण में विसंगति

किसी विशेष वर्ष तक देय उ.प्र. की संख्या और राशि वर्षों तक समान रहना चाहिए। हालांकि, यह स्थिति केवल तभी गिर सकती है, जब किसी विशेष वर्ष (वर्षों) के लिए सभी उ.प्र. प्रस्तुत किए गए हों, जिसके बाद इसे उ.प्र. के संक्षिप्त विवरण से हटा दिया गया हो। हालांकि, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए प्रधान महालेखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के वर्ष-वार संक्षिप्त विवरण की तुलना से पता चला कि वर्ष 1993-94 से 2019-20 के लिए प्राप्त होने वाले उ.प्र. की संख्या और राशि में कमी आई थी जैसा कि **तालिका 4.2** में दिया गया है। इसके अलावा, 2003-04 से 2007-08 की अवधि के संबंध में बकाया उ.प्र. की संख्या में बिना किसी बदलाव के वृद्धि हुई थी, जबकि वर्ष 2010-11, 2012-13 और 2013-14 के संबंध में बकाया उ.प्र. की संख्या और राशि दोनों में वृद्धि हुई है जबकि देय उ.प्र. की संख्या यथावत बनी रहनी चाहिए।

तालिका 4.2: आंकड़ो में विसंगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2019-20 तक प्राप्त उ.प्र. की संख्या तथा राशि (वर्ष 2020-21 के लिए उ.प्र. की वर्ष-वार सारांश के अनुसार)		**वर्ष 2019-20 तक प्राप्त उ.प्र. की संख्या तथा राशि** (वर्ष 2021-22 के लिए उ.प्र. की वर्ष-वार सारांश के अनुसार)		**अंतर**	
उ.प्र. की संख्या	**राशि**	**उ.प्र. की संख्या**	**राशि**	**उ.प्र. की संख्या**	**राशि**
3,588	27,744.80	2,581	20,055.92	1,007	7,688,88

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2022) कि उन्होंने पीएओ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर संक्षिप्त विवरण को संकलित किया था, जिन्होंने संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त की थी।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वेतन एवं लेखा कार्यालय बकाया उ.प्र. की संख्या तथा राशि को दर्शाने के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाएँ जो संगत हों तथा पूर्व वर्ष के संक्षिप्त विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुरुप हों।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे में शामिल बकाया उ.प्र. से संबंधित तथ्यों एवं आंकड़ों के सत्यापन हेतु पाँच संस्थानों जैसे दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) तथा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए किया गया था।

विभाग-वार मुख्य अभ्युक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराओं में की गई है।

4.2.1 दिल्ली जल बोर्ड

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2021-22 के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार 31 मार्च 2021 तक प्राप्त अनुदानों के संबंध में ₹ 1,183.56 करोड़ की राशि के 10 उपयोगिता प्रमाणपत्र (31 मार्च 2022 तक) लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा किः

(i) डीजेबी ने प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) को उस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया जिसके लिए इसे सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 238(1) के अंतर्गत अनिवार्य रुप से जीएफआर 12-ए प्रपत्र में स्वीकृत किया गया था जिसमें पूर्व वर्षो में प्राप्त अनुदानों के अव्ययित शेष तथा उन पर अर्जित ब्याज शामिल है।

डीजेबी द्वारा प्रस्तुत स्थिति (अगस्त 2022) के अनुसार 'शून्य' उ.प्र. लंबित थे तथा ₹ 1,109.10 करोड़ की अव्ययित राशि को अगले वर्ष उपयोग में लाया जाएगा।

इस प्रकार वित्त लेखे के आंकडों तथा डीजेबी के अभिलेखों के अनुसार उ.प्र. का अंतर असमायोजित रह गया। इसके अतिरिक्त, यह भी दर्शाता है कि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा डीजेबी के बीच समन्वय नहीं है जिसके कारण 10 उ.प्र. वित्त लेखे में बकाया के रुप में दर्शाए गए हैं जबकि डीजेबी दावा कर रही है कि जारी सहायता अनुदान के प्रति कोई लंबित उ.प्र. नहीं हैं।

(ii) जीएफआर के नियम 230(4) के अनुसार, अनुदान स्वीकृत करने वाला प्रत्येक आदेश यह इंगित करेगा कि क्या यह आवर्ती है अथवा अनावर्ती और यह स्पष्ट रुप से निर्दिष्ट करेगा कि यह किस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है तथा सामान्य और विशेष शर्तें, यदि कोई हों, तो उसे अनुदान के साथ संलग्न करेगा।

स्वीकृतियों की संवीक्षा से पता चला कि डीजेबी ने अनुदान की प्रवृति को निर्दिष्ट नहीं किया जैसा कि उपरोक्त नियम के तहत अनिवार्य था।

(iii) उ.प्र. की नमूना जाँच से पता चला कि निम्नलिखित स्कीमों के संबंध में किया गया व्यय विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदानों के अनुपात में नहीं था जैसा कि नीचे **तालिका 4.3** में वर्णित है:

तालिका 4.3: स्वीकृत अनुदानों की तुलना में अनुपातहीन व्यय

स्कीम का नाम	2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान स.अनु. (₹ करोड में)	31-03-22 तक किया गया व्यय जैसा कि उ.प्र. में दर्शाया गया (₹ करोड़ में)	अव्ययित राशि (*प्रतिशत* में)
अवैध पुनर्वास कॉलोनियों में जल आपूर्ति	60.50	19.03	68.54
अवैध पुनर्वास कॉलोनियों में सीवेज सुविधा	7.11	2.23	68.59
जन जल प्रबंधन योजना	4.85	1.11	77.08

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, बड़ी रकम की अव्ययित राशियाँ (*प्रतिशत* में) शहरी विकास विभाग में अनुदान जारी करते समय अप्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण प्रणाली को इंगित करता है।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.2.2 दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी)

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2021-22 के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक प्राप्त अनुदानों के संबंध में ₹ 715.88 करोड़ की राशि का एक उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित था (31 मार्च 2022 तक)।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

(i) जीएफआर के नियम 230(4) के अनुसार, अनुदान स्वीकृत करने वाला प्रत्येक आदेश यह इंगित करेगा कि क्या यह आवर्ती है अथवा अनावर्ती तथा यह स्पष्ट रुप से निर्दिष्ट करेगा कि यह किस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है तथा सामान्य और विशेष शर्तें, यदि कोई हों, अनुदान के साथ संलग्न की जाएंगी। स्वीकृतियों की संवीक्षा से पता चला कि डीएसआईआईडीसी ने अनुदान की प्रकृति को निर्दिष्ट नहीं किया जैसा कि उपरोक्त नियम के अंतर्गत अनिवार्य था।

(ii) डीएसआईआईडीसी ने प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) को उस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया जिसके लिए इसे सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 238(1) के अंतर्गत अनिवार्य रुप से जीएफआर 12-ए प्रपत्र में स्वीकृत किया गया था। हालांकि, डीएसआईआईडीसी द्वारा प्रस्तुत स्थिति (अगस्त 2022) के अनुसार ₹ 853.30 करोड़ की राशि का एक उ.प्र. अप्रैल 2019 से लंबित था। इस प्रकार, वित्त लेखे में दर्शाए गए तथा डीएसआईआईडीसी के अभिलेखों में वर्णित बकाया उ.प्र. की राशि असमाशोधित रह गई।

(iii) **'कमजोर वर्गों के लिए गृहों का निर्माण (जेएनयूआरआरएम)'** स्कीम के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संवीक्षा से पता चला कि डीएसएसआईडीसी ने 2006-07 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 1,122.09 करोड़ के अनुदान प्राप्त किए थे जिसके संबंध में ₹ 4.03 करोड़ का अव्ययित शेष था (मार्च 2018)। शहरी विकास विभाग (डीयूडी) ने 2018-19 के दौरान ₹ 371.06 करोड़ का एक अनुदान जारी किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएसआईआईडीसी द्वारा निधियों के उपयोग के लिए मंत्री परिषद की लंबित संस्वीकृति (अगस्त 2022) के कारण ₹ 371.06 करोड़ के प्राप्त अनुदान (2018-19) के संबंध में कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

इस प्रकार, निधियाँ तीन वर्षों से अधिक की अवधि तक व्यर्थ पड़ी रहीं। विभाग से मंत्री परिषद की गैर-संस्वीकृति का कारण तथा मामले पर भविष्य की योजना मांगे गए थे परन्तु ये प्रतीक्षित हैं (दिसंबर 2022)।

(iv) जीएफआर के नियम 230 (8) के अनुसार किसी भी अनुदानग्राही संस्थान को जारी सहायता अनुदान अथवा अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के प्रति सभी ब्याज अथवा अन्य आय को खातों को अंतिम रुप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रुप से समेकित निधि में प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भावी निर्गमों के प्रति समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

चूंकि उ.प्र. प्रपत्र 12-ए (जो अर्जित ब्याज को दर्शाता है) में तैयार नहीं किए जा रहे थे, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अनुदानग्राही द्वारा कोई ब्याज अर्जित किया जा रहा था और यदि ऐसा है, क्या उसे खातों को अंतिम रुप देने के पश्चात रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि में वापिस भेजा जा रहा था।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.2.3 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2021-22 के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक प्राप्त अनुदानों के संबंध में ₹ 435.42 करोड़ की राशि के 16 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे (मार्च 2022 तक)।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चलाः

(i) डीयूएसआईबी ने प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) को उस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया जिसके लिए इसे सामान्य

वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 238(1) के अंतर्गत अनिवार्य रुप से जीएफआर 12-ए प्रपत्र में स्वीकृत किया गया था।

(ii) डीयूएसआईबी द्वारा प्रस्तुत विवरण (अगस्त 2022) के अनुसार, 'शून्य' उ.प्र. लंबित थे तथा ₹ 323.12 करोड़ की अव्ययित राशि को अगले वर्ष में उपयोग में लाया जाएगा। इस प्रकार वित्त लेखे तथा डीयूएसआईबी अभिलेखे के आंकड़ों के अनुसार उ.प्र. का अंतर असमायोजित रहा। इसके अतिरिक्त, यह भी दर्शाता है कि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा डीयूएसआईबी के बीच कोई समन्वय नहीं है जिसके कारण वित्त लेखे में 16 उ.प्र. बकाया दिखाए गए हैं जबकि डीयूएसआईबी दावा कर रहा है कि जारी किए गए स.अनु. के प्रति कोई उ.प्र. लंबित नहीं हैं।

(iii) जीएफआर के नियम 230(8) के अनुसार किसी अनुदानग्राही संस्थान को जारी सहायता अनुदानों अथवा अग्रिमों (संवितरण के अलावा) के प्रति सभी ब्याजों अथवा अन्य अर्जनों के लेखे को अंतिम रुप देने के बाद तत्काल अनिवार्य रुप से समेकित निधि को वापिस किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भावी निर्गमों के प्रति समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चूंकि उ.प्र. प्रपत्र 12-ए (जो अर्जित ब्याज को दर्शाता है) में तैयार नहीं किए जा रहे थे, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अनुदानग्राही द्वारा कोई ब्याज अर्जित किया जा रहा था और यदि ऐसा है, तो क्या उसे खातों को अंतिम रुप देने के पश्चात रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि में वापिस भेजा जा रहा था।

(iv) लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए 2011-12 से 2020-21 की अवधि के लिए कुल प्राप्त निधियाँ तथा किए गए व्यय (उ.प्र. के अनुसार) को दर्शाने वाले संक्षिप्त विवरण के अनुसार वर्ष के सहायता अनुदान के अंतिम शेष (सीबी) तथा अगले वर्ष के आरंभिक शेष (ओबी) के बीच अंतर है जैसा कि नीचे **तालिका 4.4** में वर्णित हैः

तालिका 4.4: सहायता अनुदान के अंतिम तथा आरंभिक शेष में अंतर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंतिम शेष	वर्ष	आरंभिक शेष	अंतर
2011-12	188.25	2012-13	190.75	2.50
2016-17	88.59	2017-18	82.40	6.19
2017-18	49.09	2018-19	49.14	0.05
2018-19	299.01	2019-20	298.96	(-) 0.05
2019-20	322.96	2020-21	323.02	0.06

(v) वर्ष 2017-18 के उ.प्र. के अनुसार, राजीव आवास योजना के संबंध में ₹ 12,21,917 के अव्ययित शेष को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19

में वापिस किया जाना था। हालांकि, 2019-20 तक इसे वापिस नहीं किया गया था। इसके अलावा 2020-21 में ₹ 18,018 का व्यय किया गया और इसे उ.प्र. में उल्लिखित किया गया था कि ₹ 12,03,899 के अव्ययित शेष को अगले वर्ष अर्थात् 2021-22 में अग्रेषित किया जाएगा। इस प्रकार, उ.प्र. में शामिल अनुदेशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। उ.प्र. में उल्लिखित स्वीकृति की प्रतियां लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.2.4 पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी)

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2021-22 के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में ₹ 1,349.07 करोड़ की राशि के 12 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे (मार्च 2022)।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चलाः

(i) ईडीएमसी ने प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र) को उस उद्देश्य के लिए नहीं रखा जिसके लिए इसे समान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 238(1) के अंतर्गत अनिवार्य रुप से जीएफआर 12-ए प्रपत्र में स्वीकृत किया गया था।

ईडीएमसी द्वारा प्रस्तुत विवरण (अगस्त 2022) के अनुसार 'शून्य उ.प्र. लंबित थे तथा' ₹ (-) 47.05 करोड़ की अतिरिक्त राशि खर्च की गई थी जिसे ट्रांसफर एन्ट्री द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. से वास्तविक आवंटन में समायोजित किया जाना था। इस प्रकार वित्त लेखे तथा ईडीएमसी के अभिलेखों के आंकड़ो के अनुसार उ.प्र. का अंतर असमाशोधित रहा। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाता है कि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा ईडीएमसी के बीच कोई समन्वय नहीं है जिसके कारण 12 उ.प्र. को वित्त खातों में बकाया दिखाया गया है जबकि ईडीएमसी दावा कर रहा है कि जारी किए गए स.अ. के प्रति उ.प्र. लंबित नहीं हैं।

(ii) जीएफआर के नियम 230(8) के अनुसार किसी भी अनुदानग्रही संस्थान को जारी सहायता अनुदान अथवा अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त) के प्रति सभी ब्याज अथवा अन्य आय को खातों को अंतिम रुप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रुप से समेकित निधि में प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भावी निर्गमों के साथ समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

चूंकि प्रपत्र 12-ए में उ.प्र. तैयार नहीं किए जा रहे थे (जो कि अर्जित ब्याज को दर्शाता है), लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अनुदानग्राही द्वारा कोई ब्याज अर्जित किया जा रहा था और यदि ऐसा है तो

क्या खातों को अंतिम रुप देने के पश्चात रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि में उसे वापिस भेजा जा रहा था।

(iii) लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार एक वर्ष के लिए एक स्कीम के संबंध में सहायता अनुदान के अंतिम शेष (सीबी) और उसके बाद के वर्ष के लिए आरंभिक शेष (ओबी) के बीच अंतर है जैसा कि **तालिका 4.5** में वर्णित हैः

तालिका 4.5: सहायता अनुदान के अंतिम तथा आरंभिक शेष के बीच अंतर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्कीम	अंतिम शेष	वर्ष	आरंभिक शेष	अंतर
2016-17	प्राथमिक शिक्षा	28.24	2017-18	35.03	6.79
2016-17	जे.जे. कॉलोनी में अतिरिक्त सुविधाएं	5.23	2017-18	5.47	0.24

(iv) अनुदानों का अव्ययित शेष जैसा कि उ.प्र. में दर्शाया गया है, किसी विशेष वर्ष की दो स्कीम के संबंध में अव्ययित तुलनपत्र (यूबीएस) अधिस्थगन/अनुमति में दर्शाए गए से मेल नहीं था जिसके द्वारा विभाग को अव्ययित शेष राशि का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी जैसाकि नीचे **तालिका 4.6** में वर्णित हैः-

तालिका 4.6: अव्ययित शेषों के चित्रण में अंतर

(₹ करोड़ में)

स्कीम	वर्ष	अव्ययित शेष		अंतर
		उ.प्र. के अनुसार	अनुमति के अनुसार	
स्वच्छता सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा मशीनीकरण एवं संरक्षण	2016-17	22.01	24.13 *(अनुमति दिनांक 18.08.2017)*	2.12
प्राथमिक शिक्षा	2018-19	52.23	52.37 *(अनुमति दिनांक 18.08.2019)*	0.14

दिनांक 01.02.2016 के स्वीकृति आदेश के अनुसार वर्ष 2015-16 में 'यमुना पार क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के कार्यान्वयन' हेतु ₹ 30 करोड़ का अनुदान दिया गया। हालांकि यह स्कीम ईडीएमसी द्वारा प्रदान किए गए संक्षिप्त विवरण में प्रकट नहीं होती है।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.2.5 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)

रा.रा.क्षे.दि.स. के 2021-22 के वित्त लेखे के अनुलग्नक 'इ' के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदानों के संबंध में ₹ 2,475 करोड़ की राशि के दो

उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे (मार्च 2022 तक)। परन्तु डीटीसी द्वारा प्रस्तुत विवरण (अगस्त 2022) के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए कुल ₹ 2,572.07 करोड़ की कुल निधि उपयोग के लिए उपलब्ध थी जैसा कि नीचे **तालिका 4.7** में वर्णित हैः

तालिका 4.7: उपलब्ध निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्व वर्षो में प्राप्त अनुदानों के अव्ययित शेष	इस पर अर्जित ब्याज	सरकार को ब्याज वापिस किया गया	वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल उपलब्ध निधियाँ	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय	31.03.021 को अंतिम शेष
93.53	3.54	0.00	2,475.00	2,572.07	1,979.21	592.86

इस प्रकार डीटीसी के जवाब के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्ध ₹ 2,572.07 करोड़ की कुल निधियों में से 31.03.2021 तक ₹ 592.86 करोड़ अप्रयुक्त रहा। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि ₹ 1,979.21 करोड़ की उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र नि.म.ले.प. से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए अनंतिम उ.प्र. सरकार को पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/सूचना के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित पाया गया:

(i) जीएफआर के नियम 230(8) के अनुसार किसी भी अनुदानग्राही संस्था को जारी सहायता अनुदान अथवा अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के प्रति सभी ब्याज अथवा अन्य आय को खातों को अंतिम रुप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रुप से समेकित निधि में प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भावी निर्गमों के साथ समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह पाया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों पर ₹ 3.54 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था जिसे रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए था परंतु रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रस्तुत अनंतिम उ.प्र. में उल्लेख है कि उपार्जित ब्याज की कथित राशि को वापिस नहीं किया गया था। उपरोक्त नियम के उल्लंघन में गैर-वापसी के कारण को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) नियम 230(7) के अनुसार, जब आवर्ती सहायता अनुदान उसी उद्देश्य के लिए उसी संस्थान अथवा संगठन को स्वीकृत किया जाता है तो पूर्व अनुदान के अव्ययित शेष को बाद के अनुदान की स्वीकृति में ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि स्वीकृतियों की संवीक्षा से पता चला कि इसमें अनुदानग्राही संस्था के पास अव्ययित अनुदान की उपलब्धता के बारे में कोई संकेत नहीं था।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.3 सार आकस्मिक बिल

सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय की उन मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण किया जाता है जिसके लिये आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण एवं समर्थित वाऊचर उपलब्ध नहीं होते हैं। आरंभ में अग्रिम के रूप में लिए गए, इसके बाद के समायोजन एसी बिलों के आहरण की एक निर्धारित अवधि के भीतर विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल जमा कर के सुनिश्चित किए जाते हैं। डीसीसी बिलों में एसी बिलों के माध्यम से आहरित राशि के लिए उप-वाउचर के साथ-साथ संक्षिप्त विवरण व्यय शामिल होता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को इन सभी मामलों में नियंत्रक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली का नियम 118 प्रावधान करता है कि प्रत्येक एसी बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए एसी बिलों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, एसी बिल पर आहरित गया धन डीसीसी बिल की प्रस्तुति द्वारा निकालने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर समायोजित हो जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी स्थिति में एसी बिल को समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

एसी बिलों के प्रति डीसीसी बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति का विवरण **तालिका 4.8** में दिया गया हैः

तालिका 4.8: एसी बिलों के प्रति डीसीसी बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंरभिक शेष		वि.व. 2021-22 के दौरान समाशोधन		31 मार्च 2022 तक अंतिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017-18 तक	3,989	270.14	413	33.06	3,576	237.08
2018-19	281	136.14	62	117.05	219	19.10
2019-20	359	63.29	140	35.44	219	27.85
2020-21	307	265.53	171	251.53	136	13.99
2020-21 तक	**4,936**	**735.1**	**786**	**437.08**	**4,150**	**298.02**
2021-22#	1,976	223.79	1440	89.38	536	134.40
कुल			**2,226**	**526.46**	**4,686**	**432.42**

वर्ष 2021-22 के दौरान आहरित कुल नये बिलों का प्रतिनिधित्व करता है।

स्रोतः प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

64 सरकारी विभागों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखे बंद होने से पहले ₹ 134.40 करोड़ की राशि के 536 डीसीसी बिल जमा नहीं किए और इसलिए, इसका कोई आश्वासन नहीं था कि वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में ₹ 134.40 करोड़ का व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए इसे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मार्च 2022 तक ₹ 432.42 करोड़ के कुल 4,686 एसी बिल बकाया थे।

2021-22 के दौरान ₹ 223.79 करोड़ के एसी बिलों के प्रति ₹ 12.27 करोड़ (5.48 *प्रतिशत*) की राशि मार्च 2022 से संबंधित थी।

आहरित अग्रिमों को लेखाबद्ध नहीं किये जाने से अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुराचार आदि में वृद्धि की संभावना है। विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित समय के अन्दर डीसीसी बिलों का गैर-प्रस्तुतीकरण एसी बिलों की निकासी के बाद सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वह प्राप्त की गई थी। इसलिए, इसकी बारीकी से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त विभाग के साथ मिलकर लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए बकाया एसी बिलों के कारणों की जांच करें। एसी बिलों की निकासी की प्रवृत्तियाँ **चार्ट 4.2** में दी गई हैः

चार्ट 4.2: एसी बिलों के समाशोधन की प्रवृत्ति

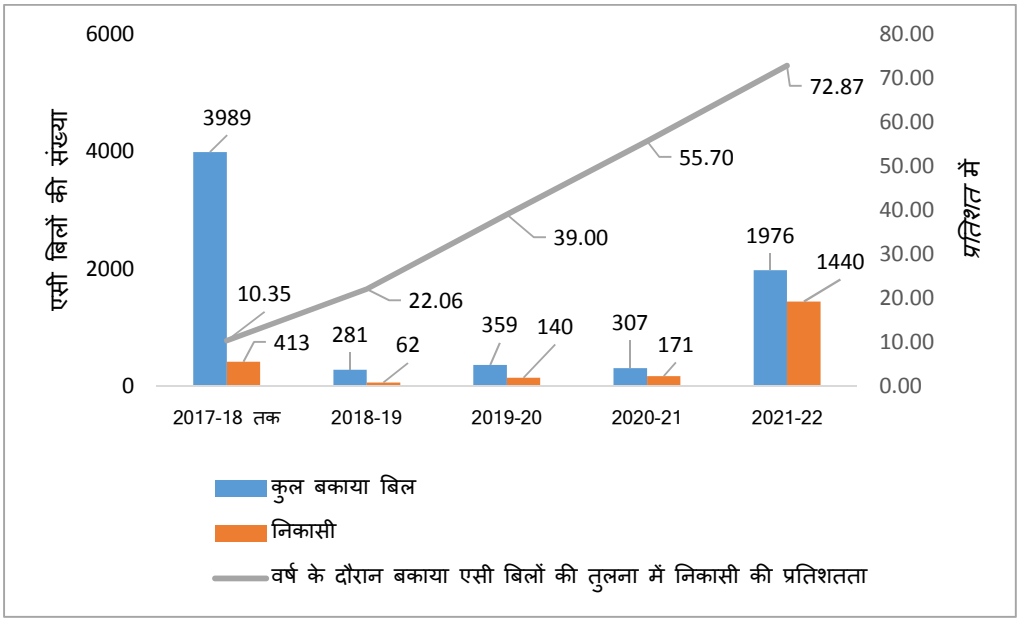

उपरोक्त चार्ट 4.2 से यह भी देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए बकाया एसी बिलों की निकासी 10.35 *प्रतिशत* से बढ़कर 2021-22 में 72.87 *प्रतिशत* हो गई।

प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डीसीसी बिलों का विवरण **चार्ट 4.3** में दिया गया है:

चार्ट 4.3: प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डीसीसी बिल

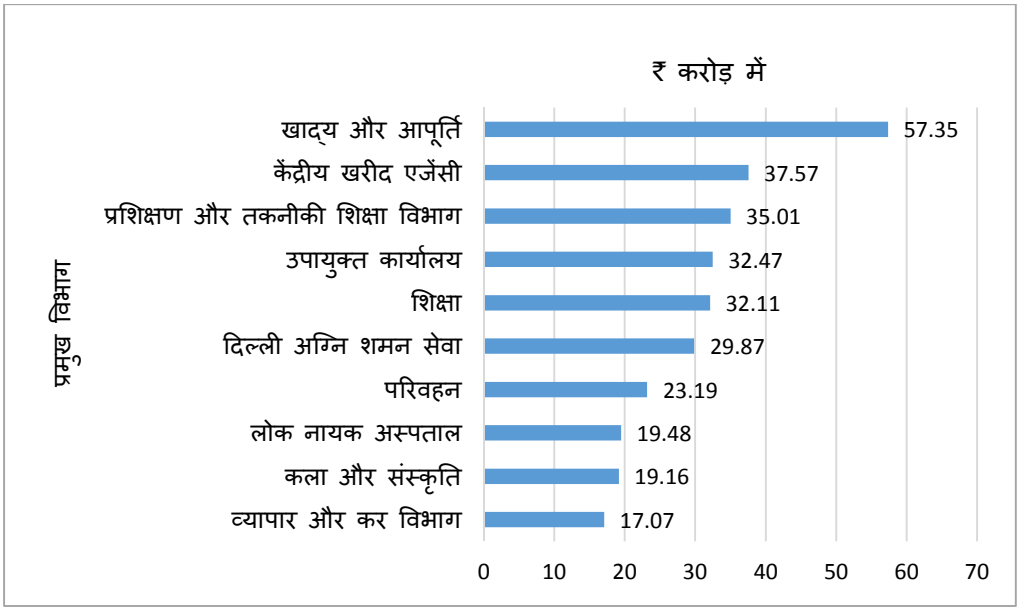

स्रोतः वर्ष 2021-22 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

उपरोक्त **चार्ट 4.3** से यह देखा जा सकता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. के दस प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डीसीसी बिल ₹ 17.07 करोड़ से ₹ 57.35 करोड़ तक थे।

पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए एसी बिल का आहरण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 96 के अनुसार 'आकस्मिक प्रभार' अथवा 'आकस्मिक व्यय' शब्द का अर्थ है कि इसमें सभी आकस्मिक तथा अन्य व्यय (भंडारण सहित) शामिल हैं जो एक कार्यालय के प्रबंधन के लिए एक कार्यालय के रुप में अथवा तकनीकी स्थापनाओं के कार्य जैसे प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक अधिष्ठापन, स्टोर डिपो परंतु व्यय के अतिरिक्त जो विशेष रुप से व्यय के कुछ अन्य शीर्ष जैसे 'कार्य', 'उपकरण तथा संयंत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

वर्ष के दौरान कुल 1,976 एसी बिलों में से ₹ 7.00 करोड़ की राशि के दो एसी बिल विभिन्न विभागों से संबंधित पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अहारित किए गए थे। फलस्वरुप, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियां उस उद्देश्य के लिए उपयोग की गई थी जिसके लिए निधियां निकाली गई थी।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्तीय लेखे में शामिल बकाया एसी बिलों से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के लिए पांच विभागों/संस्थानों जैसे लोक नायक अस्पताल (एलएनएच), दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस), शिक्षा निदेशालय (डीटीई), प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई) तथा जीबी पंत अस्पताल को विस्तृत लेखपरीक्षा हेतु चुना गया था।

विभाग-वार मुख्य अभ्युक्तियों की चर्चा आगे आने वाले पैराओं में की गई है।

4.3.1 लोक नायक अस्पताल (एलएनएच)

(क) ₹ 19.48 करोड़ की राशि के बकाया एसी बिलों का गैर-समायोजन

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 का नियम 118 निर्धारित करता है कि प्रत्येक संक्षिप्त विवरण आकस्मिक बिल के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए एसी बिलों के संबंध में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों को नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रमाणपत्र के बिना किसी भी तरह से संक्षिप्त विवरण आकस्मिक बिल को भुनाया नहीं जा सकता है।

जनवरी 2003 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान आहरित 93 बकाया एसी बिल ₹ 19.48 करोड़ की राशि के थे। एलएनएच की विभिन्न यूनिटों द्वारा

विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या निधियाँ उस उद्देश्य के लिए उपयोग की गई थी जिसके लिए ये आहरित की गई थी।

(ख) निर्धारित प्रपत्र में आकस्मिक व्यय के रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 110 के अनुसार कार्यालय द्वारा आकस्मिक व्यय का एक रजिस्टर जीएआर 27 प्रपत्र में रखा जाएगा तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित किसी राजपत्रित अधिकारी के आद्याक्षर प्रत्येक मद के भुगतान की तिथि के सामने दर्ज किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एलएनएच अस्पताल जीएआर 27 प्रपत्र में आकस्मिक व्यय से संबंधित अभिलेख नहीं रख रहा था तथा उसके लिए एक सामान्य रजिस्टर का उपयोग कर रहा था।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.3.2 दिल्ली अग्निशमन सेवा

(क) ₹ 29.67 करोड़ की राशि के बकाया एसी बिलों का गैर-समायोजन

2003-04 से 2021-22 की अवधि के दौरान आहरित ₹ 29.67 करोड़ के 25 एसी बिल असमायोजित थे। प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 118 के उल्लंघन में ₹ 1.41 करोड़ के केवल आठ बिलों का अगस्त 2022 तक निपटान किया गया तथा ₹ 29.53 करोड़ के 17 बिल अभी तक असमायोजित रह गए थे। दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा डीसीसी बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये आहरित किए गए थे।

(ख) एसी बिलों के निपटान में विलंब

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एसी बिलों का निपटान (डीसीसी बिलों के संदर्भ में) 110 दिनों से 3055 दिनों के विलंब से किया गया जो उपरोक्त प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 का उल्लंघन था, जैसाकि नीचे **तालिका 4.9** में वर्णित हैः

तालिका 4.9: एसी बिलों के निपटान में विलंब

क्र. सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि (₹ में)	डीसीसी बिल संख्या व तिथि के द्वारा निपटाए गए	निपटान में विलंब (दिनों में)
1.	1812 दिनांक 13.02.2014	24,547	951 दिनांक 27.07.2022	3055
2.	1711 दिनांक 03.03.2015	20,000	953 दिनांक 27.07.2022	2672

क्र. सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि (₹ में)	डीसीसी बिल संख्या व तिथि के द्वारा निपटाए गए	निपटान में विलंब (दिनों में)
3.	1399 दिनांक 03.08.2017	10,000	952 दिनांक 27.07.2022	1788
4.	270 दिनांक 15.06.2018	2,90,752	169 दिनांक17.05.2022	1401
5.	271 दिनांक 21.06.2018	5,45,826	720 दिनांक 27.01.2022	1285
6.	347 दिनांक 17.08.2021	30,100	649 दिनांक 05.01.2022	110
7.	741 दिनांक 21.12.2020	3,83,684	1146 दिनांक 07.02.2022	382

(ग) निर्धारित प्रपत्र में आकस्मिक व्यय रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

दिल्ली अग्निशमन सेवा, प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 110 के उल्लंघन में जीएआर 27 प्रपत्र में आकस्मिक व्यय से संबंधित अभिलेख नहीं रख रहा था तथा इसके लिए एक सामान्य रजिस्टर का उपयोग कर रहा था।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.3.3 शिक्षा निदेशालय (शि.नि.)

(क) वित्त लेखे तथा विभागीय अभिलेखों के बीच असमाशोधित अतंर

विभागीय अभिलेखों ने ₹ 5.17 करोड़ के बकाया एसी बिलों को दर्शाया। जबकि वर्ष 2021-22 के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे का अनुलग्नक 'डी', मार्च 2022 को ₹ 32.11 करोड़ के लंबित बकाया एसी बिलों को दर्शाया।

इस प्रकार, वित्त लेखे और शिक्षा निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार बकाया एसी बिलों का अंतर असमाशोधित रहा। इसके अलावा, इससे यह भी पता चलता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंधित विभागों के बीच कोई समन्वय नहीं है जिसके कारण वित्त लेखा और शि.नि. के आंकड़ों में भिन्नता है।

(ख) एसी बिलों के निपटान में विलंब

शि.निदे. के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एसी बिलों का निपटान (डीसीसी बिलों के संदर्भ में) 25 से 4917 दिनों के विलंब से किया गया जो उपरोक्त प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 का उल्लंघन था जैसा कि नीचे **तालिका 4.10** में वर्णित हैः

तालिका 4.10: एसी बिलों के निपटान में विलंब

क्र. सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि (₹ में)	डीसीसी बिल संख्या व तिथि द्वारा निपटान	निपटान में विलंब (दिनों में)
1.	2641/28.03.2008	9,10,00,000	824/14.10.2021	4917
2.	364/02.07.2021	95,00,000	1276/01.12.2021	121
3.	959/06.10.2021	95,00,000	1277/01.12.2021	25
4.	726/03.09.2021	25,75,000	1337/13.12.2021	70
5.	673/19.08.2021	50,000	1339/27.12.2021	99
6.	1247/18.11.2021	75,000	306/03.06.2022	166
7.	353/19.06.2019	1,35,520	634/06.08.2022	1113

क्र. सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि (₹ में)	डीसीसी बिल संख्या व तिथि द्वारा निपटान	निपटान में विलंब (दिनों में)
8.	1356/16.12.2021	14,70,310	635/06.08.2022	202
9.	1206/13.12.2021	93,73,507	420/08.08.2022	207
10.	679/26.08.2019	53,74,523	637/08.08.2022	1047
11.	1553/14.01.2022	53,90,000	638/08.08.2022	175
12.	1430/17.03.2021	14,00,000	644/08.08.2022	478
13.	672/19.08.2021	20,53,200	1796/08.08.2022	323
14.	1439/19.03.2021	22,00,000	38/06.08.2022	474

(ग) निर्धारित प्रपत्र में आकस्मिक व्यय रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 110 के उल्लंघन में शि.निदे. जीएआर 27 प्रपत्र में आकस्मिक व्यय से संबंधित कोई आकस्मिक व्यय रजिस्टर नहीं रखा जा रहा था।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.3.4 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई)

(क) वित्त खातों तथा विभागीय अभिलेखों के बीच असमाशोधित अंतर

वर्ष 2021-22 के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के अनुलाग्नक 'डी' में 31.03.2022 को ₹ 35 करोड़ के बकाया लंबित एसी बिलों को दर्शाया गया, जबकि विभागीय अभिलेखों ने ₹ 31.04 करोड़ के बकाया एसी बिलों को दिखाया। आंकड़ों के अनुसार बकाया एसी बिलों का अंतर असमाशोधित रहा। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंधित विभाग के बीच समन्वय नहीं है जिसके कारण वित्त लेखे तथा डीटीटीई के आंकड़ो में भिन्नता है।

(ख) एसी बिलों के निपटान में विलंब

डीटीटीई के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एसी बिलों का निपटान (डीसीसी बिलों के संदर्भ में) 26 से 411 दिनों के विलंब से किया गया जो प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 का उल्लंघन था जैसाकि नीचे **तालिका 4.11** में वर्णित हैः

तालिका 4.11: एसी बिलों के निपटान में बिलंब

क्र. सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि (₹ में)	डीसीसी बिल संख्या व तिथि के संदर्भ में निपटान	निपटान में विलंब (दिनों में)
1.	34 दिनांक 08.06.2020	30,000	120 dt 24.08.2021	411
2.	276 दिनांक 31.12.2020	12,000	158 दिनांक 25.08.2021	206
3.	73 दिनांक 29.06.2021	50,000	334 दिनांक 25.08.2021	26
4.	199 दिनांक 17.02.2022	15,00,000	25 दिनांक 25.04.2022	36
5.	200 दिनांक 17.02.2022	1500000	26 दिनांक 25.04.2022	36
6.	201 दिनांक 17.02.2022	1500000	27 दिनांक 25.04.2022	36

(ग) निर्धारित प्रपत्र में आकस्मिक व्यय रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 110 के उल्लंघन में डीटीटीई जीएआर 27 प्रपत्र में आकस्मिक व्यय से संबंधित रजिस्टर नहीं रख रहा था।

(घ) ₹ 30.58 करोड़ की पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्य से आहरित एसी बिल

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 96 के अनुसार 'आकस्मिक प्रभार' अथवा 'आकस्मिक व्यय' शब्द का अर्थ है कि इसमें सभी आकस्मिक तथा अन्य व्यय (स्टोर सहित) शामिल है जो एक कार्यालय के प्रबंधन के लिए एक कार्यालय के रुप में अथवा तकनीकी स्थापनाओं के कार्य जैसे प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक अधिष्टापन, स्टोर डिपो परंतु व्यय के अतिरिक्त जो विशेष रुप से व्यय के कुछ शीर्ष जैसे 'कार्य', 'उपकरण तथा संयंत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

डीटीटीई के एसी बिल रजिस्टर तथा बकाया एसी बिलों की सूची की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एसी बिलों का आहरण कथित नियम के उल्लंघन में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्य से किया गया था जिसका वर्णन नीचे **तालिका 4.12** में किया गया है:-

तालिका 4.12: पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्य के लिए आहरित एसी बिल

क्र. सं.	एसी बिल संख्या व तिथि	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम दिया गया	जिस एजेंसी को दिया गया	राशि (₹ में)
1.	226/30.11.2021	आर्यभट्ट में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,32,74,881
2.	227/30.11.2021	बीपीआईबीएस में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,72,82,101
3.	228/30.11.2021	आईटीआई मयूर विहार में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,21,13,191
4.	229/30.11.2021	एमबीआईटी में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,02,84,880
5.	230/30.11.2021	एनएसयूटी में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,68,90,256
6.	231/30.11.2021	आईटीआई जेल रोड में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	1,74,08,606
7.	232/30.11.2021	जीबीपीआईटी में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	1,20,04,345
8.	233/30.11.2021	एआईएसीटीआर में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,28,37,340
9.	234/30.11.2021	डीआईटीई वजीरपुर में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	1,87,99,103
10.	235/30.11.2021	जफ्फारपुर इंजी. कॉलेज में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	3,69,48,840
11.	236/30.11.2021	आईटीआई जफ्फारपुर में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,86,68,000
12.	237/30.11.2021	आईटीआई धीरपुर में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	49,96,225

क्र. सं.	एसी बिल संख्या व तिथि	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम दिया गया	जिस एजेंसी को दिया गया	राशि (₹ में)
13.	238/30.11.2021	आईटीआई नरेला में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,16,18,909
14.	239/30.11.2021	आईटीआई नरेला में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,26,10,018
	कुल			**30,57,36,895**

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.3.5 जी.बी. पंत अस्पताल

(क) ₹ 16.88 करोड़ की राशि के बकाया एसी बिलों का गैर-समायोजन

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2021-22 में ₹ 58,000/- के एक एसी बिल का निपटान किया गया तथा ₹ 16,87,63,345 के 78 बिल अभी तक असमायोजित पड़े थे। अस्पताल के विभिन्न विभागों द्वारा डीसीसी बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वे आहरित की गई थी।

(ख) निर्धारित प्रपत्र में आकस्मिक व्यय के रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 110 के उल्लंघन में जी.बी.पंत अस्पताल जीएआर 27 प्रपत्र में आकस्मिक व्यय से संबंधित अभिलेख नहीं रख रहा था तथा उसके लिए एक सामान्य रजिस्टर का उपयोग कर रहा था।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191(3) के साथ पठित नियम 191 में प्रावधान है कि व्यक्तिगत जमा खातों (व्य.ज.खा.) को सामान्य तौर पर विशेष आदेश के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) के परामर्श से खोलने के लिए निम्नलिखित प्रकार के मामलों में अधिकृत किया जाता हैः

क) सरकारी प्रबंधन के अंतर्गत वार्ड एवं संलग्न सम्पदाओं और सम्पदाओं के द्वारा या उनकी ओर से दिए गए धन के प्रबंधन के उद्देश्य से नियुक्त प्रशासक के पक्ष में नियम 192(1) के अनुसार व्य.ज.खा. सरकार के पास व्यपगत नहीं होते, भले ही तीन से अधिक पूर्ण वर्षों के लिए बकाया हो;

ख) मुख्य न्यायायिक प्राधिकरण के पक्ष में सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों की जमा से सम्बधित व्य.ज.खा. नियम 192(2) के अनुसार व्यपगत नहीं होंगे;

ग) जहां, सरकार की कुछ नियामक गतिविधियों के अंतर्गत, प्राप्तियां वसूली जाती है एवं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी निधि या खाते में जमा की जाती है, जिसका उपयोग उसके अंतर्गत व्यय के लिए किया जाता है एवं इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं होता है। ये व्य.ज.खा. सरकार को तब तक व्यपगत नहीं होंगे जब तक संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा।

खोले जाने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता, सरकारी खाते का भाग होगा तथा उसके लोक लेखा के भाग में स्थित होगा।

31 मार्च 2022 को रा.रा.क्षे.दि.स. के व्य.ज.खा. के विवरण **तालिका 4.13** में दिये गये हैं:

तालिका 4.13: 31 मार्च 2022 को व्य.ज.खा. का विवरण

01.04.2021 को व्य.ज.खा.		वर्ष 2021-22 के दौरान खुले व्य.ज.खा.		वर्ष 2021-22 के दौरान बंद हुए व्य.ज.खा.		31.03.2022 को अंतिम शेष	
संख्या	*राशि (₹ करोड़ में)*	*संख्या*	*राशि* (₹ करोड़ में)*	*संख्या*	*राशि (₹ करोड़ में)*	*संख्या*	*राशि (₹ करोड़ में)*
12	47.37	शून्य	26.24	शून्य	17.52	12	56.09

*मौजूदा व्य.ज. खाता में प्राप्तियों व भुगतानों की राशि शामिल है

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स., ले.म.नि., वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से 12 व्य.ज.खा. का संचालन कर रहा है। इन व्य.ज.खा. को खोलने का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों (दि.वि.प्रा. आदि) से प्राप्त मुआवजे की प्राप्तियों को जमा करना तथा भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों, सुरक्षा शुल्क, चुनाव याचिकाओं की फीस, सिविल जमा, फौजदारी जमा एवं अदालत के आदेश के अनुसार वादियों का किराया आदि के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को भुगतान करना था तथा इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं है।

31 मार्च 2022 को इन 12 गैर-व्यपगत व्य.ज.खा. में कुल ₹ 56.09 करोड़ था।

व्यक्तिगत जमा खातों का विश्लेषण

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के अनुबंध 'सी' में निहित व्य.ज.खा. से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए तीन विभाग/संस्थान जैसे प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, भूमि एवं भवन विभाग और जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-5), साउथ कोर्ट, साकेत का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए किया गया।

विभाग-वार प्रमुख अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गई है।

4.4.1 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191 एवं 192 अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित करते हैं कि खोले जाने वाला अधिकृत प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता, सरकारी लेखा का रूप होगा और लोक लेखे के भाग में स्थित होगा तथा यदि एक व्यक्तिगत जमा खाता एक मान्य अवधि हेतु नहीं खोला गया है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि जमा खाते की आवश्यकता समाप्त हो गई है, तो उस अधिकारी जिनके पक्ष में जमा खाता खोला गया है, के परामर्श से उसे बंद किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2022 तक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के पास उसके व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 4.43 लाख का अंतिम शेष था जो 31 जुलाई 2017 के बाद निष्क्रिय हो गया था। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (एनपीआईयू) को धनराशि नहीं लौटायी जा सकी। पिछले वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (दिसम्बर 2021) कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने ₹ 4.43 लाख का बकाया राशि लौटाने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है तथा वह व्य.ज. खाते को बंद करने के लिए शीघ्र ही अव्ययित शेष को वापस कर देगा। हालांकि, यह राशि अभी भी व्य.ज. खाते में पड़ी हुई है।

डीटीटीई ने कहा (अगस्त 2022) कि सक्षम प्राधिकारी के स्थानांतरण के कारण खाता बंद नहीं किया जा सका और आरबीआई में नए निदेशक टीटीई (सक्षम प्राधिकारी) के हस्ताक्षर को अद्यतन करने के बाद 15 दिनों के भीतर इसे बंद कर दिया जाएगा।

4.4.2 भूमि एवं भवन विभाग

दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास तथा निपटान के लिए योजना के संबंध में भुगतान प्राप्त करने तथा भुगतान करने के उद्देश्य से रा.रा.क्षे.दि.स. के भूमि एवं भवन विभाग (एलबीडी) के पास आवास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन के पक्ष में एक व्यक्तिगत जमा खाता है। यह डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, डीएमआरसी, एमसीडी, ग्रामीण विकास इत्यादि एजेंसियों से धनराशि प्राप्त करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2021-22 के दौरान व्यक्तिगत जमा खाते से ₹ 15.64 करोड़ का भुगतान किया गया था तथा 31 मार्च 2022 को ₹ 52.28 करोड़ का असंवितरित अंतिम शेष रह गया। अवितरित शेष में से ₹ 13.56 करोड़ बिना भुनाए गए चैक से संबंधित थे और ₹ 5.62 करोड़ 2022-23 के दौरान वितरित किए गए थे।

31 मार्च 2022 को ₹ 38.72 करोड़ (52.28-13.56) के अंतिम शेष में से ₹ 33.10 करोड़[1] छः वर्ष और उससे अधिक के लिए वितरण हेतु लंबित हैं।

एलबीडी ने कहा (अगस्त 2022) कि शहरी विकास विभाग तथा दिल्ली जल बोर्ड को अवितरित धन की वापसी से संबंधित मामला प्रक्रियाधीन था तथा शेष अवितरित राशि का वितरण एलएसी/एजेंसियों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने और एडिजे/उच्च/सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि में लंबित कोर्ट केस के कारण नहीं किया जा सका ने आगे कहा कि संबंधित एलएसी/एजेंसियों से अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।

एलबीडी द्वारा किए गए पूर्वोक्त प्रयासों के वाबजूद उपरोक्त विभागों को अवितरित धन की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है।

4.4.3 जिला एवं सत्र न्यायालय (डीजे-5) साउथ कोर्ट, साकेत

(क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-5), साउथ कोर्ट, साकेत का एक व्यक्तिगत जमा खाता को किराए के जमा और संवितरण के लिए खोला गया (2012)। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 1.46 करोड़ उनके व्यक्तिगत जमा खातों में अवितरित पड़े थे।

(ख) सिविल लेखा नियमावली 2007 का नियम 17.7.5 निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाते के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी निरपवाद रुप से बैंक स्क्रॉल तथा मासिक विवरण में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के प्रति व्यक्तिगत जमा खाते से प्राप्तियों एवं भुगतानों का मासिक मिलान करेगा। व्यक्तिगत जमा खाताधारक उनके द्वारा जारी किए गए उन चैकों का विवरण दर्शाएगा जो माह के अंत तक भुनाए नहीं गए हैं। इस उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जमा खाते से संबंधित प्राप्तियों और भुगतानों के रजिस्टर का संक्षिप्त विवरण व्यक्तिगत जमा खाताधारक द्वारा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-5) के व्यक्तिगत जमा खाते के लिए प्राप्तियों तथा भुगतानों का मासिक मिलान नहीं किया गया था जो उपरोक्त नियम का उल्लंघन है। इसके अलावा खाते के व्यवस्थापक द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते के लिए रोकड़ बही भी नहीं रखी गयी थी।

---

[1] ₹ 16.39 करोड़, क्रमशः शहरी विकास विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और लो.नि.वि. से यूपी लिंक रोड के लिए प्राप्त अग्रिमों से संबंधित है।

साकेत कोर्ट, नई दिल्ली ने कहा (सितंबर 2022) कि नाज़िर को अब से मासिक आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-5) के व्यक्तिगत जमा खातों के संबंध में अभिलेखों का मिलान करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें कहा गया है कि नजारत शाखा में नकद जमा करने तथा न्यायालय के नाज़िर द्वारा चैक के माध्यम से किराए के भुगतान के लिए अलग से रजिस्टर के रुप में रोकड़ वही का रखरखाव किया जा रहा था।

4.5 लघुशीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

बजटिंग एवं लेखांकन की एक पारदर्शी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रुप में, खातों के रुपों में जिसमें सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय को विधानमंडल को सूचित किया जाता है, की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए और अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि वे वास्तव में सभी महत्वपूर्ण शेयरधारकों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारदर्शी तरीके से सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्तियों और व्यय को प्रतिबिंबित करें। इस उद्देश्य के लिए 'अन्य प्राप्तियों एवं अन्य व्यय' से संबंधित लघु शीर्ष-800 को केवल तभी संचालित करने का इरादा है जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो।

लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है।

चार्ट 4.4: 2017-2022 के दौरान लघु शीर्ष '800 - अन्य व्यय का संचालन'

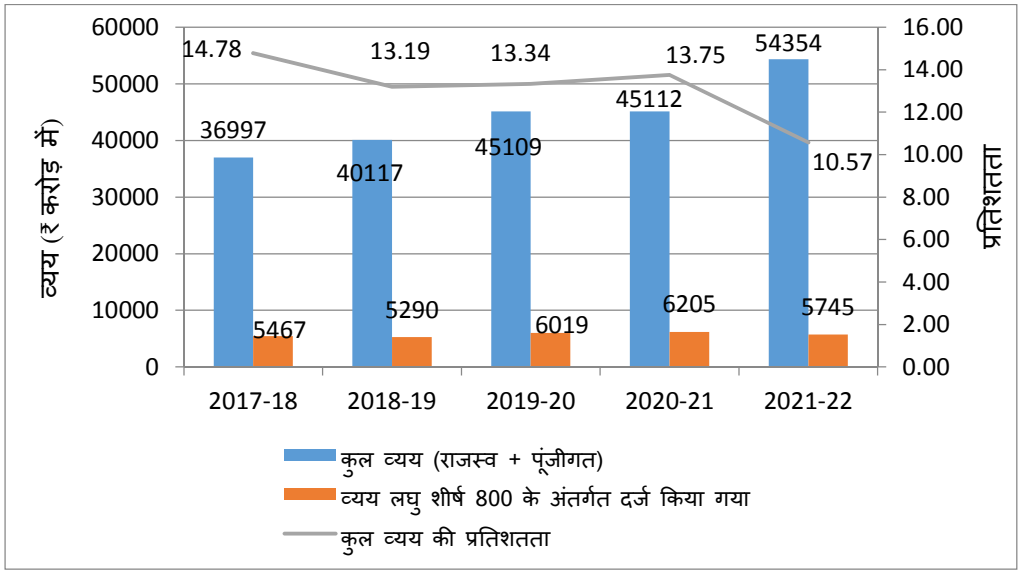

स्रोतः प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

उपरोक्त **चार्ट 4.4** से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय की

प्रतिशतता 10.57 *प्रतिशत* (2021-22) से 14.78 *प्रतिशत* (2017-18) की श्रेणी में थी।

पूर्व वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष पर 46 राजस्व और पूंजीगत प्रमुख खाता शीर्षों में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत ₹ 6,205 करोड़ दर्ज किए गए थे जो ₹ 45,112 करोड़ (राजस्व एवं पूंजी) के कुल व्यय का 13.75 *प्रतिशत* था। हालांकि कथित लघु शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग चालू वर्ष के दौरान 7.42 *प्रतिशत* कम हो गई तथा 42 राजस्व और पूंजी प्रमुख खातों के अंतर्गत वे व्यय पक्ष पर ₹ 5,745 करोड़ रही जो कुल व्यय ₹ 54,354 करोड़ (राजस्व और पूंजी) का 10.57 *प्रतिशत* था।

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अन्य बातों के साथ साथ निर्धारित करते हुए मई 2016 में दिशानिर्देश जारी किए थे कि लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' का उपयोग जहां कहीं भी तत्काल आवश्यक हो और तुलनात्मक रुप से कम राशियों के लिए (उदाहरणार्थ प्रमुख शीर्ष प्रावधान का 5-10 *प्रतिशत*) अस्थायी होना चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि **तालिका 4.14 (क)** में सूचीवद्ध 10 मामलों में संबंधित प्रमुख शार्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 50 *प्रतिशत* या अधिक ले.म.नि. के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

तालिका 4.14 (क): लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किए गए महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	प्रमुख शीर्ष	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय	संबंधित प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघु शीर्ष-800 में व्यय की प्रतिशतता
1.	3435-पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	28.48	50.39	56.52
2.	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	45.55	45.55	100.00
3.	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	117.37	118.35	99.17
4.	4801- पॉवर परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.27	6.27	100.00
5.	2801- पॉवर	3266.97	3266.97	100.00
6.	2702- लघु सिंचाई	19.25	23.01	83.66
7.	2404- डेरी विकास	11.71	11.71	100.00
8.	2250- अन्य समाज सेवाएं	10.43	10.43	100.00
9.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वस्छता	601.25	1136.53	52.90
10.	2211- परिवार कल्याण	66.79	78.67	84.90
	कुल	**4174.07**	**4747.88**	**87.91**

उपरोक्त प्रमुख शीर्षों में से निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय को लगातार दर्ज किया गया था जैसा कि नीचे तालिका 4.14 (ख) में वर्णित हैः-

तालिका 4.14 (ख): लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय को लगातार दर्ज किया जाना

क्र. सं.	प्रमुख शार्ष	लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत व्यय के बुकिंग की अवधि	लघु शीर्ष 800 अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय की प्रतिशतता की रेंज	मुख्य शीर्ष को संचालित करने वाला विभाग	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय का विवरण (डीडीजी के अनुसार)
1.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18.	100 (पूर्णतया)	वित्त	व्यापार एवं कर - मोटर वाहन
2.	4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18.	91- 100	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	अन्य जल निकासी कार्य - प्रमुख कार्य
3.	4801- पॉवर परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय	2021-22, 2020-21.	100	पॉवर	भूमि के क्रय, एच टी/एल टी ट्रांसमिशन इलैक्ट्रीसिटी लाइन्स का स्तानांतरण इत्यादि से संबंधित प्रमुख कार्य
4.	2801-पॉवर	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18.	100 (पूर्णतया)	पॉवर	डिस्कॉम्स के जरिए उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता, डीईआरसी व डीटीएल को सहा. अनु., उर्जा क्षमता तथा संरक्षण इत्यादि
5.	2702- लघु सिंचाई	2021-22, 2020-21, 2017-18.	78-84	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	लघु कार्यों का अनुरक्षण व मरम्मत
6.	2404 - डेयरी विकास	2021-22, 2020-21, 2019-20.	100 (पूर्णतया)	कृषि विपठान	डेरी कॉलोनियों का स्थानांतरण
7.	2211-परिवार कल्याण	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18.	75-85	परिवार कल्याण निदेशालय	राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को सहा.अनु.

2021-22 के दौरान ₹ 49,312.99 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 695.57 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्कीकृत किया गया जो कुल प्राप्तियों का 1.41 *प्रतिशत* था। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत दर्ज किए गए महत्वपूर्ण प्राप्तियों का विवरण **तालिका 4.15 (क)** में हैं।

तालिका 4.15 (क): लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत दर्ज किए गए महत्वपूर्ण प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	ल.शी. 800 के अंतर्गत दर्ज	कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
1.	0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पुनर्वास	0.07	0.08	87.5
2.	0217-शहरी विकास	15.36	15.36	100
3.	0701- मध्यम सिंचाई	9.01	9.01	100
4.	0801 - पॉवर	51.87	51.87	100
5.	0406 - वानिकी एवं वन्य जीवन	5.57	5.61	99.29
6.	0059 - लोक निर्माण कार्य	21.77	22.71	95.86
7.	0210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	78.47	97.33	80.62
8.	0230 - श्रम एवं रोजगार	5.22	7.34	71.12
9.	0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	94.74	134.09	70.65
	कुल	**282.08**	**343.4**	**82.15**

पूर्वोक्त मुख्य शीर्षों में से निम्नलिखित, मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत प्राप्तियों की बुकिंग निरंतर थी जैसा कि नीचे **तालिका 4.15 (ख)** में वर्णित हैः

तालिका 4.15 (ख): लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत लगातार बुकिंग

क्र. स.	मुख्य शार्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों की बुकिंग की अवधि	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज की जा रही प्राप्तियों की प्रतिशतता की रेंज
1.	0217 - शहरी विकास	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18	100 (लगातार)
2.	0701- मध्यम सिंचाई	2021-22, 2020-21, 2019-20	100 (लगातार)
3.	0801- पॉवर	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18	100 (लगातार)
4.	0059 - लोक निर्माण कार्य	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18	91-97
5.	0210 - चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18	76-93
6.	0230 - श्रम एवं रोजगार	2020-21, 2017-18	95-97
7.	0235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पुनर्वास	2021-22, 2020-21	88-100
8.	0070 - अन्य प्राशासनिक सेवाएं	2020-21, 2019-20	83-85

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा आवंटित प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है। इस मामले को रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे पर पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। हालांकि अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकती है

और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसी प्राप्तियों और व्यय को दर्ज करने के लिए नए लेखा शीर्ष खोलने की संभावना का पता लगा सकती है तथा उन्हें सही लेखा शीर्ष के तहत उचित रूप से दर्ज कर सकती है।

इसके अलावा, रा.रा.क्षे.दि.स. एक अंतरिम उपाय के रूप में, लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों/व्यय' के तहत विलय की गई महत्वपूर्ण पहलों पर व्यय/प्राप्तियों का विवरण देते हुए वित्त लेखा में फुटनोट शामिल कर सकता है।

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (सितंबर 2022) कि मामला वित्त विभाग को भेजा गया था और जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.6 स्वायत निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

नि.म.ले.प. की (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 एवं 20 के तहत 11 निकायों प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गई है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में 2021-22 तक देय आठ निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे सितम्बर 2022 तक प्राप्त नहीं हुए थे। इन बकाया लेखाओं के विवरण **तालिका 4.16** में दिये गये हैं।

तालिका 4.16: 30 सितम्बर 2022 तक बकाया लेखाओं का विवरण

क्र. स.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	से लंबित लेखे	30.09.2022 को बकाया लेखाओं की संख्या
1	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	2010-11	12
2	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	2018-19	4
3	दिल्ली कल्याण समिति	2020-21	2
4	दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण	2019-20	3
5	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2020-21	2
6	अम्बेडकर विश्वविद्यालय	2021-22	1
7	गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	2021-22	1
8	दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय	2021-22	1

उपरोक्त से यह अवलोकन किया गया कि 30 सितम्बर 2022 तक आठ निकायों/प्राधिकरणों के 26 वार्षिक लेखे लंबित थे।

वार्षिक लेखे को समय से अंतिम रुप देने के अभाव में, सरकार का निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधान मंडल की जांच से बाहर रह जाता है। परिणामस्वरुप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार लाने के लिए, यदि आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय समय पर नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा, लेखे को

अंतिम रुप देने में विलम्ब होने से धोखाधड़ी और जनता के पैसे की बरबादी का जोखिम बढ़ जाता है।

सरकार निकायों/प्रधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखाओं के संकलन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रणाली इजाद करने पर विचार करे।

4.7 वित्त लेखे के विवरणियों में अन्य गलतियां

(i) ऋणों और अग्रिमों का ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

रा.रा.क्षे.दि.स. के वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे की जांच से पता चला कि रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2021-22 के विवरणी सं. 16 (सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण) में ऋण और अग्रिम के ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष थे। ऋणात्मक/प्रतिकुल शेष का विवरण नीचे **तालिका 4.17** में वर्णित हैं:

तालिका 4.17: ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष	31.03.2022 को शेष
1	6401	कृषि कार्य के लिए ऋण	105- खाद और उर्वरक	(-)90.08
2	7610	सराकरी सेवकों को ऋण	201- आवास निर्माण अग्रिम	(-)545.37
3	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	202- मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-)250.20
4	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	203- अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-)25.92
5	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	204- कम्प्युटर की खरीद के लिए अग्रिम	(-)140.58

मुख्य शीर्ष '6401 - कृषि कार्य के लिए ऋण' के संबंध में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितम्बर 2022) कि ऋणात्मक राशि पुरानी अवधि से संबंधित वित्त लेखे में दिखाए गए आँकड़े और इसमें शामिल संबंधित वे.ले.का. को सलाह दी जा रही थी कि वे गलत वर्गीकरण का पता लगाएँ और उचित लेखा शीर्ष में इसका लेखा-जोखा रखें। इसमें कहा गया है कि मुख्य शीर्ष '7610- ऋण और अग्रिम' के संबंध में, प्रतिकूल शेष मूल राशि में ब्याज राशि की गलत बुकिंग के कारण थे और इसकी अगले वित्तीय वर्ष में उचित उपचार देने के लिए वे.ले.का. के साथ समीक्षा की जाएगी।

(ii) ऋणों और अग्रिमों का बकाया

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विवरण की जांच (विवरण संख्या 16-विभिन्न ऋणी संस्थाओं से बकाया में चुकौती का खण्ड 3) से पता चला कि ₹ 1,46,388 करोड़ 31 मार्च 2022 तक बकाया के रुप में शेष था जैसा कि **तालिका 4.18** में नीचे वर्णित है:

तालिका 4.18: बकाया ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

ऋणी का नाम	31 मार्च 2022 को बकाया राशि			प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है	लंबित (वर्षों में)
	मूलधन	ब्याज	कुल		
दिल्ली नगर निगम	3,75,226.83	3,53,125.07	7,28,351.90	1950-51	71 वर्ष
दिल्ली जल बोर्ड	32,61,194.53	38,90,850.60	7,15,2045.13	1998-99	23 वर्ष
दिल्ली अर्बन शेल्टर इन्वेस्टमैंट बोर्ड	1,54,517.32	41,986.20	1,96,503.52	2011-12	10 वर्ष
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लि.	315.05	0.00	315.05	1977-78	44 वर्ष
दिल्ली एस सी फाईनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दिल्ली	6,872.18	3,386.71	10,258.89	1987-88	34 वर्ष
दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लि.	436.34	929.40	1,365.74	1998-99	23 वर्ष
दिल्ली फाईनेंशियल कॉर्पोरेशन	3,300.00	2,475.00	5,775	2015-16	06 वर्ष
को-ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन	61.33	227.43	288.76	1962-63	59 वर्ष
दिल्ली ट्रॉस्को लि.	0.00	1,769.12	1,769.12	2018-19	03 वर्ष
दिल्ली पावर कंपनी लि.	2,99,375.10	2,58,779.47	5,58,154.57	2014-15	07 वर्ष
प्रगति पावर कार्पो.लि.	0.00	3,093.45	3,093.45	2014-15	07 वर्ष
इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लि.	0.00	51,490.91	51,490.91	2012-13	09 वर्ष
दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी	225.00	1,125.90	1,350.90	1979-80	42 वर्ष
दिल्ली ट्रॉस्पोर्ट कॉर्पोरेशन	11,46,328.46	47,80,042.83	59,26,371.29	1996-97	26 वर्ष
दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	0.00	637.74	637.74	1973-74	48 वर्ष
दिल्ली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड	215.29	565.44	780.73	2005-06	16 वर्ष
इंडस्ट्रीज	8.39	276.03	284.42	1981-82	40 वर्ष
कुल योग	**52,48,075.82**	**93,90,761.30**	**146,38,837.12**		

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने जवाब दिया (दिसंबर 2022) कि वह न तो बकाया ऋण चुकाने की स्थिति में है और न ही ब्याज का भुगतान करने की स्थिति में है क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीयूएसआईबी का वेतन और स्थापना व्यय के लिए सहायता अनुदान के बजाय वेज एण्ड मींस ऋण का प्रावधान करना शुरु कर दिया है। जवाब स्वीकार्य नहीं है और रा.रा.क्षे.दि.स. को सलाह दी जाती है कि वे डीयूएसआईबी की वित्तीय स्थिति को देखें। अन्य संबंधित विभागों का जवाब प्रतीक्षित है (दिसंबर 2022)।

(iii) विवरणी सं. 11 में दर्शाए गए निवेशों की संचित राशि विवरणी सं. 12 में दर्शाए गए कुल निवेश से मेल नहीं खाता हैं।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2021-22 की विवरणी सं. 11 और विवरणी सं. 12 की संवीक्षा से पता चला कि दोनों विवरणियों में दर्शाए गए निवेशों की संचित राशि में ₹ 275.44 करोड़ का अंतर है, जैसा कि **तालिका 4.19** में वर्णित है:

तालिका 4.19 निवेशों की संचित राशि में अंतर

क्र. सं.	विवरणी सं. 11 में विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत दर्शाए गए निवेश	संचित राशि (₹ हजार में)
1	4216.80.201- हाउसिंग बोर्ड में निवेश	3,00,200
2	4217.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	70,000
3	4217.02.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	35,07,500
4	4225.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	2,34,887
5	4425.107- को-ऑपरेटिव में निवेश	4,852
6	4425.108- अन्य को-ऑपरेटिव में निवेश	1,557
7	4425.200- अन्य निवेश	4,531
8	4801.05.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	7,10,67,800
9	4853.60.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	31,800
10	4885.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	1,73,500
11	5055.00.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	13,42,27,017
12	5452.80.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	2,43,181
2021-2022 के अंत में विवरणी सं. 11 में दर्शाई गए निवेशो की संचित राशि		20,98,66,825
विवरणी सं. 12 और विवरणी सं. 12 के अनुलग्नक में दर्शाई गई राशि		20,71,12,391
विवरणी सं. 12 में दर्शाई गई संख्या और विवरणी सं. 11 में दर्शाई गई कुल निवेश की संचित संख्या के बीच अंतर		27,54,434

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने विवरणी सं.-12 में केवल निवेशों के विवरण प्रस्तुत किये थे। जवाब दो विवरणियों में भिन्नता का व्याख्या नहीं करता है।

यद्यपि, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया है, यह सलाह दी जाती है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक पूंजीगत व्यय को दर्शाने वाले अंतिम कॉलम के प्रति विवरणी 11 में संबंधित लघु शीर्षों में उपयुक्त पूर्व अवधि समायोजन शामिल करें ताकि दोनों विवरणी का मिलान हो सके।

(iv) वर्ष 2021-22 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के विवरणियों में अन्य विसंगतयां/गलतियां

वर्ष 2021-22 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के विभिन्न विवरणियों में निम्नलिखित विसंगतियाँ/गलतियाँ देखी गई:

क) विवरणी सं. 1- लेन-देन का संक्षिप्त विवरण

मुख्य शीर्ष '2016-लेखापरीक्षा' का संचालन गलत है क्योंकि मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची स्पष्ट रुप से प्रावधान करती है कि इस मुख्य शीर्ष में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग का व्यय शामिल होगा। विभिन्न विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन पर होने वाले व्यय तथा सहकारी समितियों के लेखापरीक्षा से संबंधित प्रभारों को संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।

उक्त विसंगतियों को वर्ष 2020-21 के वित्त लेखा के प्रमाणन के दौरान प्रधान लेखा अधिकारी के संज्ञान में लाया गया था और संबंधित व्यय को दर्ज करने के लिए एक नया मुख्य शीर्ष खोलने की सलाह दी गई थी।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बताया कि बजट अनुमान 2022-23 में मुख्य शीर्ष '2016-लेखापरीक्षा' के संचालन को दुरुस्त किया गया है।

ख) विवरणी सं. 10 - लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय तथा मुख्य शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय का विस्तृत लेखा जोखा

एक स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या 2015.00.105 शीर्ष के तहत संसद का चुनाव कराने के लिए दर्ज किए गए ₹ 491.83 लाख के शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई थी। जिस शीर्ष के तहत इसे दर्ज किया गया था उसका विवरण भी मांगा गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय ने कहा (सितंबर 2022) कि भारत सरकार के शेयर मनी की प्रतिपूर्ति कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लेखापरीक्षा के संचालन और संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद की जानी है।

ग) विवरणी सं. 11 - वर्ष 2021-22 के दौरान और उसके अंत तक पूँजीगत व्यय का विस्तृत लेखा

विवरणी-11 में लघु शीर्ष "4217.01.050 - भूमि" के तहत दर्ज किए गए ₹ 28,299.31 लाख के प्रभारित व्यय और (-)₹ 9,195.13 लाख के दत्तमत व्यय की राशि पर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा कि वर्ष 1999-2000 से 2006-07 के दौरान दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण और निपटान के कारण ₹ 282.99 करोड़ का व्यय किया गया था। तथापि, विभाग ने उक्त राशि को प्रभारित व्यय के रुप में दर्ज करने का कारण नहीं बताया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को ऋणात्मक व्यय पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया (नवम्बर 2022)।

घ) विवरणी सं. 12 - 31 मार्च, 2022 के अंत तक सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश का विवरण दर्शाने वाला विवरणी

शीर्ष 5055.00.190 (सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश) के तहत ₹ 81,961.22 लाख का निवेश दर्शाया गया था, जो कि विवरणी-11 में

2021-22 के दौरान एकमात्र निवेश है। हालाँकि, विवरणी 12 के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान निवेश ₹ 80,000 लाख है। इसने विवरणी सं. 11 और 12 में दर्शाए जा रहे वर्ष के दौरान निवेश में ₹ 1961.22 लाख के अंतर का संकेत दिया।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितम्बर 2022) कि आवश्यक सूचना के लिए मामला परिवहन विभाग को भेजा गया है और उनका जवाब प्रतिक्षित था (नवम्बर 2022)।

4.8 वाउचर लेखापरीक्षा की अनियमितताएँ

वाउचरों की लेखापरीक्षा के लिए कुल 25 पीएओ में से पाँच वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् पीएओ VI, X, XII, XXIV और XXV का चयन किया गया। 2 पीएओ में कोई मूल अवलोकन नहीं पाया गया और शेष 3 पीएओ में प्रमुख लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नानुसार है:

4.8.1 पीएओ-VI (शहरी विकास विभाग आदि)

(i) योजना (मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना) के अंतर्गत कार्य पूरा होने के प्रमाणपत्र लिए बिना दूसरी किस्त जारी करना

शहरी विकास विभाग (डीयूडी), रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष 2021-22 के लिए (7वीं विधानसभा के दौरान) प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी और अनधिकृत नियमित कॉलोनियों में स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता [मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना (एमपीएसवाई)] योजना यानि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के अंतर्गत सड़कों/गलियों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के कार्य करने हेतु संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को भुगतान करने के लिए पीएओ VI को कई स्वीकृति आदेश जारी किए।

स्वीकृति आदेश की शर्तों मे अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि (i) निधियां दो किश्तों में जारी की जाएगी, (ii) अनुमानित लागत के 50 *प्रतिशत* की पहली किश्त परियोजना/योजना की मंजूरी के समय जारी की जाएगी और (iii) शेष राशि कार्य पूर्ण होने के बाद जारी की जाएगी। सड़कों/गलियों के रखरखाव की अवधि की वारंटी कार्य पूरा होने की तारीख से कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए, जिसके लिए यूएलबी जिम्मेदार है।

अभिलेखे की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 251.62 लाख के 13 बिल डीयूडी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनिवार्य समापन प्रमाणपत्र संलग्न किए बिना दूसरी/अंतिम किश्त के भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए थे। फिर भी, इन बिलों को मंजूरी की

शर्तों का उल्लंघन करते हुए पीएओ VI द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अनिवार्य परियोजना/कार्य वास्तव में पूरा किया गया था।

वेतन एवं लेखा कार्यालय VI ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि सभी पूर्णता प्रमाणपत्र शहरी विकास विभाग के पास रखे जा रहे थे और इन प्रमाणपत्रों पर विचार करने के बाद दूसरी और अंतिम किश्त जारी की गई थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन प्रमाणपत्रों को उस वाउचर के साथ संलग्न किया जाना था जिस पर पीएओ को बिल पास करना था।

(ii) एमएलएएलएडी योजना के तहत कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र लिए बिना दूसरी किश्त जारी करना

शहरी विकास विभाग (डीयूडी), रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष 2021-22 के लिए (7वीं विधानसभा के दौरान) एमएलएएलएडी योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाचे यानी सड़कों, गलियों, इलाकों, स्ट्रीट लाइट आदि को मजबूत करने और बढ़ाने के काम के लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसियों अर्थात पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और आई एंड एफ सी आदि को भुगतान करने के लिए पीएओ VI को कई स्वीकृति आदेश जारी किये।

स्वीकृति आदेश की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि (i) अनुमानित राशि का 50 *प्रतिशत* पहली किश्त के रुप में जारी किया जाएगा, (ii) शेष राशि का भुगतान एमएलएएलएडी योजना के अंतर्गत काम पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा और (iii) ठेकेदार को भुगतान करने से पहले कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अनुबंध/एमएलएएलएडी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त कार्य पूरा कर लिया गया है।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 77.91 लाख के नौ बिल डीयूडी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनिवार्य समापन प्रमाणपत्र संलग्न किए बिना दूसरी/अंतिम किश्त के भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए थे। फिर भी, इन बिलों को मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पीएओ VI द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अनिवार्य परियोजना/कार्य वास्तव में पूरा किया गया था।

वेतन एवं लेखा कार्यालय VI ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि सभी पूर्णता प्रमाणपत्र शहरी विकास विभाग के पास रखे जा रहे थे और इन प्रमाणपत्रों पर विचार करने के बाद दूसरी और अंतिम किश्त जारी की गई थी। जवाब स्वीकार्य

नहीं है क्योंकि इन प्रमाणपत्रों को उस वाउचर के साथ संलग्न किया जाना था जिस पर पीएओ को बिल पास करना था।

4.8.2 पीएओ-XXIV (शिक्षा निदेशालय)

(i) कार्यालय व्यय शीर्ष में व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित व्यय की बुकिंग

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली (डीएफपीआर) के अनुसार, व्यावसायिक सेवाओं पर व्यय का लेखा-जोखा वस्तु शीर्ष 28 व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत किया जाना है। मार्च 2022 माह के वाउचरों की जांच से पता चला कि ₹ 36,513 के पांच वाउचरों में 'फॉर्म-16 तैयार करने और ई-रिटर्न फाइल करने के लिए व्यावसायिक शुल्क' के लिए व्यय शामिल था। तथापि इन व्ययों को वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था, जिन्हें बाद में पीएओ द्वारा अनियमित रुप से पास किया गया था।

इस प्रकार, पीएओ को डीएफपीआर के अनुसार डीडीओ द्वारा जमा किए गए वाउचर को मान्य करने और डीडीओ को सही वस्तु शीर्ष के तहत व्यय दर्ज करने का निर्देश देने की आवश्यकता है।

4.8.3 पीएओ-XXV (शिक्षा निदेशालय)

(i) लेखाशीर्ष का गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर) के अनुसार, व्यावसायिक सेवाओं और कार्यालय व्ययों पर व्यय को क्रमशः वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएँ' और '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत् लेखाबद्ध किया जाना है।

मार्च 2022 माह के वाउचरों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 1.93 लाख के 15 बिलों में व्यय को गलत लेखा शीर्ष में दर्ज किया गया था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

- नौ मामलों में, अधिवक्ताओं को आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए किए गए भुगतान के व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएँ' के स्थान पर वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। पीएओ ने जवाब दिया (अगस्त 2022) कि बजट आवंटन के अनुसार, क्रमशः रिटर्न दाखिल करने और कोर्ट शुल्क के लिए ऐसा कोई शीर्ष उपलब्ध नहीं है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि डीएफपीआर के अनुसार एक अलग वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएँ' हैं।
- छह मामलों में, कार्यालय की बैठक में परोसे गए जलपान, लिक्विड सोप डिस्पेंसर की खरीद, कीटनाशक, टी सेट, क्लीनिंग डस्टर, लिक्विड हैंड-वॉश,

रीफिल एक्सटिंग्यूशर आदि के भुगतान के लिए व्यय को वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय', के स्थान पर वस्तु शीर्ष '27-लघुकार्य वर्क्स' के तहत दर्ज किया गया था। पीएओ ने शिक्षा निदेशालय के आदेश दिनांक 18.02.2022 के आदेश की एक प्रति संलग्न की, जो वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के तहत जलपान/दोपहर के भोजन की व्यवस्था आदि पर व्यय की बुकिंग के लिए भी प्रदान करता है, जिससे लेखापरीक्षा अवलोकन को मान्य किया जाता है।

4.9 एकल नोडल लेखांकन

अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के लिए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन 23 मार्च 2021 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना (के.प्रा.यो.) के तहत धन जारी करने और जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी करने की प्रक्रिया निर्धारित की।

उपरोक्त का.ज्ञा. के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक के.प्रा.यो. को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी। एसएनए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक के.प्रा.यो. के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगा और प्रत्येक के.प्रा.यो. के लिए निधि निर्दिष्ट एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) समर्पित बैंक खाते से स्थानांतरित किया जाएगा। राज्य कोषागार और पीएफएमएस के अनुसार एसएनए के बैंक खाते में उपलब्ध के.प्रा.यो. की शेष राशि (केन्द्रीय और राज्य शेयर) या पीएफएमएस के साथ पूरी तरह से एकीकृत योजना विशिष्ट पोर्टलों और सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 232 (V) के अनुसार राज्य को निधि जारी की जानी है। इन दिशानिर्देशों को 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाना था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष 2021-22 के दौरान 61 राज्य से जुड़ी योजनाओं को 40 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में शामिल किया, जिसके लिए एसएनए के खाते से निधि भेजी गई। इसके अलावा, राज्य सरकार को एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को पीएफएमएस पर पंजीकृत करना था और सभी भुगतानों के लिए एसएनए/आईए को सौंपे गए यूनिक पीएफएमएस आईडी का उपयोग करना आवश्यक था। एसएनए, आईए, वेंडरों और निधि प्राप्त करने वाले अन्य संगठनों के बैंक खातों की मैपिंग की जानी थी।

वर्ष 2021-22 के लिए पीएफएमएस पोर्टल, वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. की रिपोर्ट की जाँच में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

i. 13 के.यो.प्रा. में भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 686.85 करोड़ हस्तांतरित किए जिसके प्रति एसएनए के खाते में केंद्र सरकार के अंश के रुप में ₹ 273.68 करोड़ जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरुप ₹ 413.17 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।

ii. 2021-22 के दौरान राज्य से जुड़ी 31 योजनाओं में ₹ 2,823.14 करोड़ की अव्ययित शेष राशि थी।

iii. रा.रा.क्षे.दि.स. ने छह केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में अपने आनुपातिक राज्य अंश से अधिक ₹ 103.03 करोड़ की धनराशि जारी की।

iv. रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने आनुपातिक राज्य अंश के संबंध में छह केंद्र प्रायोजित योजनाओं में ₹ 161.61 करोड़ की कम धनराशि जारी की।

v. राज्य से जुडी सात योजनाओं में ₹ 108.29 करोड़ के प्रतिकूल शेष थे, जो यह दर्शाता है कि इन योजनाओं में अधिक व्यय किया गया था।

vi. रा.रा.क्षे.दि.स. ने राज्य से जुड़ी दो योजनाओं में ₹ 37.42 करोड़ की धनराशि जारी की, जो पोर्टल पर अवर्गीकृत राशि के रुप में दर्शाई गई थी, जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका की जारी की गई धनराशि किससे संबंधित है।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि केवल रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों में के.प्रा.यो. के कार्यान्वयन का समन्वय हो रहा था और यह कि कार्यान्वयन एजेंसियां एकल नोडल खाते से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकार्ड बनाकर रख रही थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग है जैसा कि रा.रा.क्षे.दि.स. नियम 2003 के व्यापार लेन-देन में भी प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार, वित्त विभाग को सलाह दी जाती है कि वे पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न अपवाद रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संज्ञान लें।

4.10 दिल्ली विद्युत नियामक आयोग कोष का गैर-संचालन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 में प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य विद्युत नियामक आयोग कोष (एसईआरसीएफ) के नाम से एक कोष का गठन करेगी और राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिए गए कोई भी अनुदान और ऋण अधिनियम के अंतर्गत राज्य आयोग द्वारा प्राप्त सभी शुल्क एवं ऐसे अन्य

श्रोतों से आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियां, जो राज्य सरकार द्वारा तय की जा सकती है, को इसमें जमा किया जाएगा।

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार एसईआरसीएफ के निर्माण के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. से अनुरोध किया था (जुलाई 2003) लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने लगभग दो दशकों के बीत जाने के बावजूद कोष का गठन नहीं किया था।

परिणामस्वरुप, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा 31 मार्च 2022 तक प्राप्त शुल्क (₹ 11.66 करोड़) को सरकारी लेखे से बाहर रखा गया था। गौरतलब है कि इसी तरह के मामले में अधिनियम की धारा 99 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित (अक्तूबर 2007) केंद्रीय विद्युत आयोग कोष भारत के लोक लेखा के अंतर्गत संचालित किया जा रहा था।

4.11 अनुशंसाएँ

(i) सरकार को यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि विभागों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत किए जाएँ।

(ii) सरकार को एब्सट्रैक्ट कंटिनजेन्ट बिलों का निर्धारित अवधि के भीतर समायोजन करना चाहिए, जैसा कि नियमों के तहत आवश्यक है।

(iii) सरकार वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकती है और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसी प्राप्तियों और व्यय को दर्ज करने के लिए नए लेखा शीर्ष खोलने की संभावना का पता लगा सकती है या उन्हें सही लेखा शीर्ष के तहत उचित रूप से दर्ज कर सकती है।